विलोपित विलोपित विलोपित

(74)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण कमांक .... /2015
निगरानी 2261-II-15

श्रीमती ज्यौत्स्ना सिंह पत्नी डॉ. बद्री सिंह निवासी बेढ़न तहसील व जिला सिंगरोली (म.प्र.)

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका

श्री विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 21-7-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. रूद्रमणि प्रसाद वैशवार पुत्र श्री राजाराम वैशवार निवासी छिनहा गांव तहसील देवसर जिला सीधी (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरोली (म.प्र.)

गैरपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 21-7-2015

<u>कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल बेढ़न तहसील व जिला सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 48/अ-12 /2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1950 की धारा-50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि ग्राम तेलाई राजस्व निरीक्षक मण्डल बेढ़न तहसील व जिला सिंगरोली में स्थित भूमि पुराना सर्वे कं. 386, 387 नया सर्वे कं. 223 रकवा 0.260 हेक्टेयर की आवेदिका के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर वाउण्ड्रीवाल बनी हुई है।
2. यह कि आवेदिका ने अपनी उपर्युक्त भूमि को सन् 1996 में सीमांकन कराया था, तदनुसार भी आवेदिका ने अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर वाउण्ड्रीवॉल बनाकर काबिज चली आ रही है। इस सीमांकन आदेश को कभी भी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई और वह अंतिम हो गया।

XXIX(a)-BR(H)-11

72

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2261-पी/15 जिला - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक देवसर के प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 22.6.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर सिंगरौली को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19 को कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	